राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–8)

(दूरभाष 0141–2227229, Email-pdme2k_rdd@yahoo.com)

क्रमांक एफ 7(185)ग्रावि/अनु–8/2012 जयपुर, दिनांक 15 MAR 2016

बैठक कार्यवाही विवरण

मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में सिविल सोसाईटी तथा विभिन्न गैरसरकारी संगठन (NGO) के प्रतिनिधियों के साथ दिनांक 09.03.2016 को सामाजिक सरोकार के निम्न मुद्दों पर चर्चा हेतु बैठक शासन सचिवालय में आयोजित की गयी, जिसमें उपस्थित अधिकारीगण एवं सिविल सोसाईटी तथा विभिन्न गैरसरकारी संगठन (NGO) के प्रतिनिधियों की सूची परिशिष्ट–अ पर संलग्न है। बैठक में विचार विमर्श उपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिये गये:–

1. संबंधित विभागों द्वारा विभिन्न मुद्दों पर की गयी कार्यवाही की रिपोर्ट (ATR) समय पर प्रस्तुत नहीं की जाती है। अतः संबंधित विभाग बैठक के 15 दिवस पश्चात (ATR) नोडल विभाग (ग्रामीण विकास विभाग) को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।
2. सिविल सोसाईटी के साथ त्रैमासिक बैठक के लिए मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में एक स्थाई कमेटी का गठन किया जाए और इसकी त्रैमासिक बैठक आयोजित की जाए।

3. वन एवं पर्यावरण विभाग :–
    1. सामुदायिक वन अधिकार पर समुचित कार्य नहीं किया जा रहा है।
    2. वन क्षेत्र में व्यक्तिगत अधिकार के रूप में कब्जे (Possession) के अनुसार जिस जमीन पर काबीज है उससे कम जमीन आवंटित की जा रही है।
    3. सामुदायिक एवं व्यक्तिगत अधिकारों के कितने मामले प्राप्त हुए है तथा कितने का निस्तारण किया गया है इसकी पूर्ण जानकारी जनसामान्य को नहीं है।
    4. उपरोक्त विषयों पर दि0 15.4.2016 को वन विभाग एवं आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास द्वारा उदयपुर में विभिन्न संगठनों के साथ बैठक की जावे।

4. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग–
    1. अनुसूचित क्षेत्रों में "पंचायतीराज संस्थाओं का विस्तार" (PESA) कानून का क्रियान्वयन सही नहीं है। इसके तहत ग्राम सभायें विधिवत आयोजित नहीं की जा रही है। आयुक्त एवं सचिव, पंचायतीराज द्वारा अवगत कराया गया कि इस संबंध में आदेश जारी किये हुए है, उन्हें लागू कराया जायेगा।